न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—259 / 2025

प्रार्थीगण:—

1. अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. गोविन्दराम पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. गोपालराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. रामेश्वरलाल पुत्र उदाराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. सांवलराम पुत्र उदाराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा सिवाना, तहसील सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री हुकमसिंह राठौड व
श्री महावीरसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :—28.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2990 व 2991 रकबा 2.0659 व 0.0679 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शंकरराम'' दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा जमाबंदी, आधार कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम ''शंकरलाल'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीगण के पिता के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में बैंक डायरी, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व जनआधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम ''शंकरलाल'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 2990 व 2991 रकबा 2.0659 व 0.0679 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शंकरराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के बैंक डायरी, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व जनआधार काड आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शंकरलाल'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम ''शंकरराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम शंकरलाल होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 2990 व 2991 रकबा 2.0659 व 0.0679 हैक्टेयर भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम '' शंकरराम ''के स्थान पर ''शंकरराम उर्फ शंकरलाल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:11:11 IST
Reason: SelfAttested